

प्रेस नोट दिनांक – 15.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

जनपद में महिलाओं/ बालिकाओं संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.06.2021 को थाना चौबिया पर वादी के द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 06.06.2021 की शाम उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री पडोस के अखिलेश कुमार उर्फ जितेन्द्र उर्फ कन्हैया पुत्र राधेश्याम शाक्य निवासी ग्राम गोपालपुर थाना चौबिया के साथ पंखा ठीक कराने सरसई हेलु गयी थी । उसी बीच रास्ते में अखिलेश उर्फ जितेन्द्र उर्फ कन्हैया द्वारा बम्बा किनारे खेत में मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया । वादी की तहरीर के आधार पर थाना चौबिया पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0 75/21 धारा 376ए,बी,323,506 भादवि व 5(ड)/06 पॉक्सो एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस से टीम का गठन किया गया । पुलिस टीम अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थी ।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.06.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर दुष्कर्मी को एसएसपी चौराहा इटावा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करना कबूल किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अखिलेश उर्फ जितेन्द्र उर्फ कन्हैया पुत्र राधेश्याम शाक्य निवासी गोपालपुर थाना चौबिया जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. 01 मोटरसाइकिल न0 UP 75 AA 1562 (घटना में प्रयुक्त)

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 75/21 धारा 376एबी,323,506 भादवि व 5(ड)/06 पॉक्सो एक्ट थाना चौबिया

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री मुकेश कुमार सोलंकी थानाध्यक्ष चौबिया, उ0नि0 श्री मनोज कुमार, का0 आदेश कुमार, का0 संदीप कुमार, का0 रेशमपाल, का0 अंकित मौर्या, म0का0 शिखा मलिक

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा